दिनांक | टी०ए०मिस० केस सं० 210/2019-20 | अभ्युक्ति

(2)

आदेश

22/10/19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अशोक सावैयाँ, पिता– स्व० बुधन सिंह सावैयाँ, निवासी ग्राम– गितिलपी, थाना– मुफ्फासिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– गितिलपी, थाना नं०– 580 के अन्दर खाता नं०– 84, प्लॉट नं०– 353, रकवा– 0.12 एकड़ भूमि क्रेता दमयन्ती पुरती, पिता– गुरूचरण पुरती, ग्राम– गितिलपी, थाना– मुफ्फासिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है, एंव आवेदक के नाम पर ना०मु० सं०– 129/2009–10 द्वारा नामांतरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 706 दिनांक– 12.10.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता दमयन्ती पुरती, पिता– गुरूचरण पुरती, ग्राम– गितिलपी, थाना– मुफ्फसिल, चाईबासा के पास 5,87,400.00/– (पांच लाख सतासी हजार चार सौ) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फासिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक अशोक सावैयाँ, पिता– बूधन सिंह सावैयाँ, निवासी ग्राम– गितिलपी, थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने भूमि क्रेता दमयन्ती पुरती, पिता– गुरूचरण पुरती, ग्राम– गितिलपी, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास जमीन को 5,87,400.00/– (पांच लाख सतासी हजार चार सौ)रूपये में मौजा– गितिलपी, थाना नं०– 580 के अन्दर खाता नं०–84, प्लॉट नं०– 353, रकवा– 0.12 एकड जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित

(हस्ताक्षर) 22/10/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

(हस्ताक्षर) 22/10/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner